206

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 03–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 20.11.2011 पारित द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 79/ अपील/2010–11.

रघुवीर उर्फ मथुरालाल पुत्र सुन्दरलाल कुर्मी
निवासी ग्राम बरखेडी तहसील एवं जिला
अशोकनगर द्वारा मुख्त्यारआम विरेन्द्र सिंह
पुत्र रघुवीर उर्फ मथुरालाल हाल निवासी
सी–6 गोकुलपुर गांव ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी
के पास मे लॉबी रोड दिल्ली 94

--- आवेदक

विरूद्ध

1– मुंजू पुत्र ग्यारसा जाटव
2– राजू
3– घनश्याम
4– शंकर पुत्रगण स्व0 जलमा
5– भूरिया पुत्री जलमा
6– शांतिबाई विधवा जलमा जाटव
समस्त निवासीगण ग्राम बरखेडी तहसील
अशोकनगर जिला अशोकनगर

--- अनावेदकगण

आवेदकगण अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी
अनावेदक क0 1 अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़
अना0 क0 2 से 6 के अधि0 श्री बी0के0 अग्रवाल

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19 – 8 – 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 79/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्य बताते हुये कहा की मौजा बरखेडी तहसील अशोकनगर के भूमि सव्रे कमांक 87 के भूमि स्वामी आवेदक रघुवीर उर्फ मथुरा लाल, भैयालाल तथा फूल सिंह पुत्रगण सुन्दरलाल थे फूल सिंह ने अपने 1/3 भाग का विक्रय अनावेदकगण कमांक 2 से 6 के पूर्वाधिकारी जलमा के हित में कर दिया था अनावेदक 1 ने आवेदक के भाई एवं सहखातेदार भैयालाल के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके भैयालाह के 1/3 भाग का विक्रय पत्र अपने हित में करा लिया एवं उसे छिपाये रखा इसके बाद अनावेदक 1 ने ग्राम पंचायत से अवैध रूप बटवारा कराया जिसकी जानकारी होने पर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की कमिश्नर ने अनावेदक 1 की अपील की विवादित आदेश से स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– आवेदक के अधिवक्ता ने अपने तर्क प्रस्तुत किये उनका पहला तर्क है कि ग्राम पंचायत को पंजी पर बंटवारा करने का अधिकार नहीं था संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बटवारा आवेदन दिया जाता है जिस पर तहसील न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात धारा 178 के अंतर्गत निर्मित नियमों का पालन करते हुये बंटवारा किया जा सकता है । आवेदक ने अपने इस तर्क के समर्थन में 1995 रेवेन्यु निर्णय 27, 1994 रेवेन्यु निर्णय 102 एवं 302 का अवलोकन कराते हुये कहा कि नामांतरण पंजी पर सहमति दर्शाते हुये किया गया बंटवारा अवैध था जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी ने कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की थी।

आवेदक के अधिवक्ता का अगला तर्क है कि आवेदक ने बंटवारे हेतु कभी भी सहमति नहीं दी अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध पंजी कमांक 27 की सत्य प्रतिलिपि लगी है जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है

उनका कहना है कि न तो कोई फर्द बटवारा बनाया गया ना ही फर्द का प्रकाशन किया गया और बटवारा भी स्वत्व के अनुसार नहीं किया गया है यह भी पंजी से स्पष्ट है उनका कहना है संपूर्ण भूमि का क्षेत्रफल 2.038 है0 था जिसमें आवेदक का हिस्सा 1/3 होता है परंतु आवेदक को केवल 0.052 है0 भूमि दी गयी है तथा अनावेदक 1 का 1.307 है0 भूमि देते हुये किया गयाबंटवारा स्वत्व के विपरीत तथा अवैध बंटवारा है ऐसे बटवारे को कमिश्नर ने यथावत रखने में वरिष्ठ राजस्व न्यायालय के कर्तव्यों का पालन नहीं किया है।

4– आवेदक के अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की ओर ध्यान दिलाते हुये बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक 1 के नाम की प्रविष्टी आधारहीन होना पाया था एवं अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम पंचायत से बार बार मूल अभिलेख मंगाने का प्रयास किया परंतु ग्रम पंचायत ने अभिलेख नहीं भेजा आवेदक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने नामांतरण पंजी पर अवैध रूप से किये गये बंटवारे एवं अनावेदक 1 के नाम की अधिकारी ने नामांतरण पंजी पर अवैध रूप से किये गये बटवारे एवं अनावेदक 1 के नाम की प्रविष्टि आधारहीन मानते हुये बटवारे को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की थी जब बटवारे की तथाकथित कार्यवाही अवैध एवं बंटवारा विचाराधिकार रहित होने से ऐसी कार्यवाही एवं आदेश के विरूद्ध अपील में समयाधि की कोई बाधा नहीं आती है 1982 रेवेन्यु निर्णय 417 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये उनका कहना हे कि विचारधिकार रहित आदेश के विरूद्ध अपील में समयावधि की बाधा नहीं आती है।

5– आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क के अंत में बताया कि कमिश्नर ने बंटवारे की प्रकिया तथा बंटवारे के विचाराधिकार के बिन्दु पर अपने आदेश में कोई टिप्पणी नहीं की है, केवल यह लिखा है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर कोई विशेष निष्कर्ष नहीं दिया है। आवेदक का कहना है कि केवल प्रथम अपील की समयावधि के बिन्दु पर औपचारिक टिप्पणी करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के न्यायोचित आदेश को निरस्त किया है, जबकि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा–5 के आवेदन में

विस्तार से बंटवारे की जानकारी का आधार और जानकारी के बाद अपील प्रस्तुत करने के संबंध में वर्णन किया था।

6– अनावेदक कमांक–1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ ने अपने तर्क में कहा की बंटवारे का आवेदन दिया गया था, आवेदक ने बंटवारे पर सहमति दी थी उनका कहना है कि आवेदक को बंटवारे की जानकारी थी, आवेदक ने अत्यंत विलम्ब से 9 साल के बाद अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार नहीं की जानी चाहिये थी उनका कहना है कि आयुक्त ने अपने आदेश में कोई गलती नहीं की है।

7– अनावेदक 2 से 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने संक्षिप्त में तर्क दिये एवं कहा की बंटवारे की कार्यवाही अवैध थी। धारा 178 के नियमों का पालन नहीं किया गया था। अतः आयुक्त का आदेश निरस्त किया जावे।

8– आवेदक एवं अनावेदाकं के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन करने से स्थिति स्पष्ट होती है कि बंटवारे की कार्यवाही नामांतरण पंजी पर की गयी है, राजस्व मण्डल के न्याय दृष्टांतो में इस बिन्दु पर व्याख्या करते हुये कहां है कि बंटवारे की कार्यवाही धारा–178 के अंतर्गत निर्मित नियमों का पालन करते हुये की जानी चाहिये । अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम पंचायत के अभिलेख को मंगाने के लिये पत्र लिखे जिनके उत्तर में पंचायत समन्वयक अधिकारी ने सूचित किया था कि ग्राम पंचायत में रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, अर्थात बंटवारे का मूल अभिलेख प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं हो सका जिसके अभाव में यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बंटवारे की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गयी। अनावेदक –1 अधिवक्ता यह बताने में असफल रहे कि धारा–178 के बंटवारा नियमोंका पालन किस प्रकार किया गया क्यों कि न तो कोई फर्द प्रकाशित हुई न ही नियम 4 एवं 6 का पालन होना पाया जाता है।

9– आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्को से यह भी स्पष्ट होता है कि पंजी पर जो बंटवारा किया गया वह स्वत्व के अनुसार नहीं है । आवेदक का संपूर्ण

रकवे में 1/3 भाग था जबकि उसे केवल 0.052 है0 भूमि बंटवारे में दी गयी है।

10– अवैध एवं विचाराधिकार शून्य आदेश के विरूद्ध की गयी अपील को समयावधि के बिन्दू पर निरस्त नहीं किया जाना. चाहिये क्यों कि विचाराधिकार न होना समस्त कार्यवाही एवं आदेश को व्यर्थ तथा शून्य बना देता है राजस्व मण्डलन का न्याय दृष्टांत 1982 रेवेन्यू निर्णय 417 इस प्रकरण के तथ्यों के प्रकाश में पूर्णतः लागू होता है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत के प्रकाश में निर्धारित किया गया है कि अधिकारिता रहित आदेश के विरूद्ध अपील में म्याद का प्रश्न नहीं उठता है।

11– आयुक्त ग्वालियर संभाग के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने पंचायत द्वारा अपनायी बंटवारे की प्रकिया, संहिता की धारा –178 एवं प्रकरण के तथ्यों पर अपने आदेश में कोई टिप्पणी नहीं की है केवल प्रथम अपील को समय वाधित होना मानकर अनुविभागीय ने अपने आदेश में पूरी विवेचना करते हुये पंजी पर किये गये बंटवारे को निरस्त किया था इसलिये आयुक्त ग्वालियर संभाग का आदेश न तो अभिलेख पर आधारित है ना ही न्याय संगत है।

12– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण के तथ्यों तथा संदर्भित न्याय दृष्टांतों को देखते हुये आयुक्त ग्वालियर संभाग का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आवेदक का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है, एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग का विवादित आदेश दिनांक 29.11.2011 निरस्त किया जाये।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर